राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.4(3)साप्र/5/2016 जयपुर, दिनांकः 6.1.2017

—:: आज्ञा :: —

ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर आवंटन इस विभाग के दिशा–निर्देश संख्या एफ. 7(2)साप्र/5/06 दिनांक 27.10.2006 एवं इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.03.2016 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.06.2016 द्वारा श्रीमती सविता दहिया, आई.एफ.एस. मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, जयपुर को राजकीय आवास संख्या 01 ओ0टी0एच0, गांधीनगर, जयपुर एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित किया गया थाः–

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरूद्ध ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें।
5. ट्रांजिट हॉस्टल के आवास में रहने वाले प्रत्येक अधिकारी को मूल वेतन का प्रमाण–पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. समय–संमय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

श्रीमती दहिया के द्वारा उक्त आवास का कब्जा निर्धारित अवधि में नहीं लेने पर उक्त आवास का आवंटन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांकः 28.07.2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अब उनके आवेदन पर उक्त आवास उन्हें पूर्व अंकित शर्तों पर पुनः आवंटित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। एक सप्ताह में कब्जा नहीं लेने पर आवंटन निरस्त कर अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग– आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
6. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग–कृपया आवंटन पत्र वेबसाईट पर डाले।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Room No. 1124 Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Tel.No. (J.S.)-0141-2227874 (AS) 9829075214 (Fax)-5116626, 2227928
WebSite: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-dsgad.rajasthan@rajasthan.gov.in
D:\backup\backup E\GAD-(5)2014\Nanu lal\legal 2015.docx. 38